

प्रथम पत्रक

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह जिला - बोकारो।

नीलाम पत्र मुकदमा सं० - 55/22-23

बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड

सर्टिफिकेट होल्डर

बनाम
निवास कुमार पिता बाबू राम महता

सर्टिफिकेट डेब्टर

अनुसूची - 14 फारम सं० - 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
10.02.23	प्रबंधक सह अधियानी पदाधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया, बोकारो के द्वारा देनदार निवास कुमार पिता - बाबू राम महता पत्र सं० - 176- गौरीगोरी पोस्ट - गौरीगोरी तहसील, जरीडीह जिला जिला बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि 28,744/- रु. वसूली हेतु पीओडीओआर0 एक्ट के तहत प्रपत्र 2 में अधियाचना पत्र दाखिल किया है। साथ ही कार्ट फी 2,824/- रु. दाखिल किया है। जिसकी विवरणी निम्न है 25,920 + 2,824 = 28,744/- रु. अधियाचना पत्र परिपूर्ण है। बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है। अतः देनदार को धारा 7 पीओडीओआर0 एक्ट के अधीन विधीयत सूचना निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 24/02/23 को उपस्थापित करे। नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह।	श्री ० प्रे संलग्न (1) Form-1 (2) Form-11 (3) चेक लिस्ट (4) कोई एफिडेविट Raj
24.02.23	अभिलेख उपस्थापित। उक्त पत्र उपस्थापित। सुनवाई की अगली तिथि 17/03/2023 की निर्धारित की जा रही है। नीलाम पत्र पदाधिकारी जरीडीह।	

17.3.2023

अभिलेख उपस्थापित ।

देनदार अनुपालित; पुनः नोटिफा निर्गत करें ।

अभिलेख दिनांक 24/03 को उपस्थापित करें ।

निलम्ब प्र. प्रशासिका
अरीडीए

29/03/23

अभिलेख उपस्थापित ।

कार्यालय कार्या के व्यवस्था के कारण नोटिफा निर्गत नहीं हो सका । पुनः नोटिफा निर्गत करने हेतु अभिलेख दिनांक 29/03 को उपस्थापित करें ।

निलम्ब प्र. प्रशासिका
अरीडीए ।

03/07/24

अभिलेख उपस्थापित

आस्था प्रबंधक, B.O.T, जेनामार्ग ने लिखित रूप से सूचित कि प्रश्न की राशि दर्ज: 95211 होकर भुज खाता बन्द कर दी गयी है। Certificate holder के एक्टिवेशन के आधार पर Certificate case समाप्त की गयी है।

निलम्ब प्र. प्रशासिका
अरीडीए